

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी - मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या- 155/23 प्रा-पत्र

1- श्री माधू सो कणोड़ गाली निवासी - अमरगढ़ तहसील - माण्डल

- प्रार्थी

बनाम

1- श्री धन्ना सो श्री मोहन गाली निवासी - अमरगढ़ तहसील - माण्डल (कौरा)
(सिंहसिंघा पत्र संलग्न) विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111- 128 रा.भू. रा. अधि. 1956

दिनांक :- 16.4.24


:: आदेश ::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन ~~विपक्षी~~ ग्राम अमरगढ़ पटवार हल्का अमरगढ़ तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न^{1898, 1901, 1904, 1931, 1935, 1940} कुल किता 0.6 रकबा 1.4922 हैक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मृतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्ना होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28.11.24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से आधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।


:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम अमरगढ़ पटवार हल्का अमरगढ़ तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न^{1898, 1901, 1904, 1931, 1935, 1940} कुल किता 0.6 रकबा 1.4922 हैक्टेयर भूमि के पक्षी तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक सी. घास को 800.- रूपये /- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मोक़े व कब्जे की यस्थास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
माण्डल

तिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमावली के अनुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।




उपखण्ड अधिकारी
माण्डल